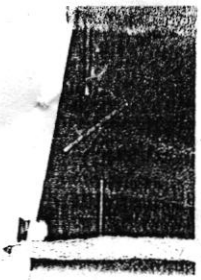

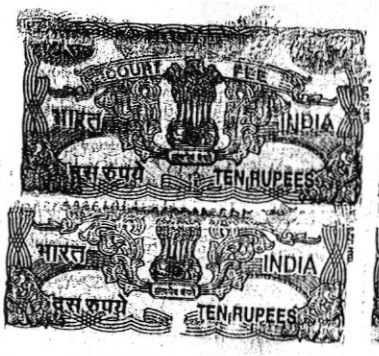

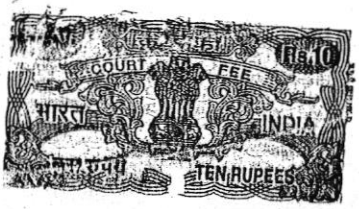

(93) ~~92~~

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4897

आवेदक –: प्रमोद माहेश्वरी आयु 67 वर्ष आ. श्री तेजपाल माहेश्वरी

निवासी बनखेड़ी, कास्तकार मौजा लाम्टा तह. बनखेड़ी,

जिला – होशंगाबाद (म.प्र.)

//वनाम//

अनावेदकगण –: हरिशंकर आ. आशाराम (फौत)

वारसान –:

1. परमसुख आ. हरिशंकर गूजर
2. तेजसिंह आ. हरिशंकर गूजर

हक्कीबाई बेवा हरिशंकर गूजर (फौत)

3. सीताराम पुत्र हरिशंकर
4. नन्हेवीर पुत्र हरिशंकर
5. हीरालाल पुत्र हरिशंकर

~~नाबालिग द्वारा वलीमा हक्कीबाई रिकार्ड में नाबालिग है सभी व्यस्क हो चुके है।~~ बालिग

सभी गूजर निवासी ग्राम लामटा तह. बखेड़ी जि.होशं.

6. बड़ी जीजी पुत्री हरिशंकर पत्नि नारायणसिंह गूजर
   निवासी सिंगोड़ा तह. बनखेड़ी जिला – होशंगाबाद

7. मालक ~~ना~~बालिग पुत्र गोपी
8. रज्जू ~~ना~~बालिग पुत्र गोपी
9. ~~जसमन नाबालिग पुत्र गोपी~~
   9 कांडीबाई पत्नी हल्केसिंह निवासी
10. कमलेश नाबालिग पुत्र गोपी
11. ~~संतराबाई विधवा गोपी गूजर~~

~~सभी नाबालिग द्वारा वलीमां मां संतराबाई~~ पिता गोपी फौत लाओबाद ... सिंगोड़ा तह. बनखेड़ी जिला होशंगाबाद

सभी निवासी लामटा तह. बनखेड़ी जिला – होशंगाबाद

//पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959//

//उत्पन्न//

न्यायालय –: श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद

श्री ... द्वारा 28/11/17 को ... प्रस्तुत
दि. 28/11/17

~~माननीय न्यायालय के आदेश 11/1/18 के अनुसार संशोधन किया~~

... अभिभाषक

राजस्व प्रकरण क्रमांक – 269/अपील/वर्ष 2013–14

पक्षकार –: प्रमोद माहेश्वरी विरूद्ध हरिशंकर (फौत) वारसान परमसुख वगैरा

आदेश दिनांक –: 21/09/2017

//प्रथम अपीलीय प्रकरण//

न्यायालय –: श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया, जि.होशंगाबाद

राजस्व प्रकरण क्रमांक – 3अ/6 वर्ष 1993–94

पक्षकार –: मालक आ. गोपी वनाम् हरिशंकर आ. आशाराम (फौत) वारसान परमसुख वगैरा

आदेश दिनांक –: 21/12/1995

(इस प्रकरण में आवेदक को पक्षकार नही बनाया गया था।)

//मूल प्रकरण//

न्यायालय –: श्रीमान नायब तहसीलदार श्री आर.एल.पालेवार

राजस्व प्रकरण क्रमांक – 25अ/6 वर्ष 1993–94

पक्षकार –: हरिशंकर आ. आशाराम वनाम् मालक, रज्जू, जसवंत, कमलेश

आदेश दिनांक –: 27/07/1993

(इस प्रकरण में आवेदक को पक्षकार नही बनाया गया था।)

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

1. हरिशंकर आ. आशाराम गूजर लामटा वाले ने कोमल आ. मुंशी गूजर लामटा वाले से मौजा लामटा तह. बनखेड़ी की भूमि खसरा नम्बर 24 मे से 1.63, खसरा नम्बर 119 रकवा 0.65 और खसरा नम्बर 26 मे से 0.80 जुमला रकवा 3.08 म्य कुआ एक पुराना के उत्तर में आलम का खेत दक्षिण में गुन्चीलाल के खेत से लगा, पूर्व में नाला व मछवाई खेत और पश्चिम में सीताराम पटैल के खेत से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09/06/1955 के द्वारा क्रय किया।

निरंतर 3.....पर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4897

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-9-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक हरिशंकर (मृतक) द्वारा ग्राम लामटा स्थित प्रश्नाधीन भूमियां दिनांक 9-6-55 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किये जाने के आधार पर नामांतरण हेतु वर्ष 1993 में नायब तहसीलदार, बनखेड़ी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/अ-6/92593 में दिनांक 25-7-93 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक हरिशंकर (मृतक) का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया द्वारा दिनांक 21-12-95 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 14-8-2014 को 19 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आयुक्त द्वारा दिनांक 21-9-2017 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र अमान्य किया जाकर अपील निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष 19 वर्ष पश्चात अत्यधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में आयुक्त द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा-49 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए विधिसंगत आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं अपील निरस्त की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में विलम्ब का कारण आदेश की जानकारी नहीं होना दर्शाया गया है, जो कि सद्भाविक नहीं माना जा सकता । इस प्रकार आवेदक द्वारा न तो विलम्ब का सद्भविक कारण दर्शाया गया है और न ही प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण स्पष्ट किया गया है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय	

द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 5-व्याप्ति -अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत -अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

अध्यक्ष